


106

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर (म.प्र.)



पुनरीक्षण क्रमांक- / 2017

श्री निगमनी/सीधी/भू.श/2017/2589

कृष्णमुरारी गुप्ता तनय स्व. श्री शारदा प्रसाद गुप्ता  
उम्र -55 वर्ष,पेशा-ब्यापार, निवासी ग्राम-उत्तर  
करौदिया,तहसील-गोपदबनास जिला-सीधी (म.प्र.)

-----आवेदक

**बनाम**

1. कृष्ण गोपाल गुप्ता तनय स्व.शारदा प्रसाद गुप्ता  
उम्र -40 वर्ष,पेशा-ब्यापार
2. कृष्ण बिहारी गुप्ता तनय श्री शारदा प्रसाद गुप्ता  
उम्र- 62 वर्ष
3. श्रीमती सुधा गुप्ता पुत्री स्व. श्री शारदा प्रसाद गुप्ता  
उम्र- 45 वर्ष,पेशा-गृहकार्य
4. म0प्र0शासन  
सभी निवासी ग्राम -उत्तर करौदिया,तहसील-गोपद  
बनास, जिला-सीधी (म0प्र0)-----अनावेदकगण  
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी,गोपदबनास, जिला-  
सीधी (म0प्र0) द्वारा प्रकरण क्रमांक 75/अपील/2015-  
16 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2017 के विरुद्ध म0प्र0  
भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

विनायक कुमार काशी

9-8-17

~~विनायक कुमार काशी~~  
9-8-17

किशोर चौराहा  
ग्वालियर  
09-08-2017

माननीय महोदय,


आवेदक का पुनःरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यह कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने अपील मेंमो के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था,जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने बिना धारा 5 म्याद अधिनियम के सुनवाई किये ही मूल अपील एवं म्याद

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-तीन/निगरानी/सीधी/भू.रा./2017/2589

कृष्णमुरारी गुप्ता विरुद्ध कृष्ण गोपाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव एवं अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास, जिला-सीधी के प्रकरण क्रमांक 75/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 15-06-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: center;"> (आर0की0 जैन) सदस्य 5/3/19</p>